फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :— श्रीमती पार्वती | **विपक्षी :— राज्य**

किस्म मुकदमा — 88 रा.का.अधि. | **पत्रावली संख्या : 54/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 14.02.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीयां मय व राजपेरोकार उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। अधिवक्ता वादीयां द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीयां का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर रिपोर्ट को ही बहस माना जाकर वादीया के वाद को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादीयां द्वारा राजस्व रेकार्ड में वादीयां का नाम बेहना गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। वादीया द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी की नकल, ग्राम पंचायत बडियार द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 16.03.2022, ग्राम पंचायत फलीचडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र ग्रा.पं. फलीचडा/2021/22 दिनांक 18.03.2022, 50/—रूपये स्टाम्प पर प्रार्थीया का शपथ पत्र, आधार कार्ड की प्रति, परिवार राशन कार्ड की प्रति, भामाशाह कार्ड की प्रति, जनआधार कार्ड की प्रति, सहखातेदार श्री उदा पिता मोती, श्रीमती कुकी पत्नी तुलसीराम, श्री कनीराम पिता गणेश, केसरबाई पुत्री गोदा, श्री भगा पिता मोती, श्री सोहनलाल पिता सवराम, श्रीमती लेहरबाई पत्नी सवराम, श्रीमती वरदीबाई पत्नी गोदा, श्यामु पुत्री गोदा के शपथ पत्र प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। वादीया द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में वादीया का नाम पार्वती पत्नी नारायणलाल अंकित है। राजपेरोकार द्वारा नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम पंचायत बडियार, फलीचडा के प्रमाण पत्र, तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार वादीयां बेहना एवं पार्वती दोनो एक ही होना जाहिर होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीयां का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः वादीयां का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: <u>आदेश</u> :—

परिणामस्वरूप वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कुंचोली पटवार हल्का कुंचोली की आराजी नम्बर 1000 से 1004, 625, 628, 630 से 638, 932, 970, 974 से 991, 995 से 999 किता 41 रकबा 10.2225 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 961, 964 से 968, 971 से 973 किता 9 रकबा 2.3552 हेक्टेयर भूमि में खातेदार बेहना पुत्री तुलसीराम गुर्जर के बजाय बेहना उर्फ पार्वती पुत्री तुलसीराम गुर्जर संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.17 17:56:10 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 54/22 (वाद) GCMS No. : 2022/120

उनवान

1. श्रीमती पार्वती पुत्री तुलसीराम पत्नी नारायणलाल गुर्जर निवासी हाल बडियार तह. मावली।

...................वादीयां

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का कुंचोली तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कुंचोली पटवार हल्का कुंचोली की आराजी नम्बर 1000 से 1004, 625, 628, 630 से 638, 932, 970, 974 से 991, 995 से 999 किता 41 रकबा 10.2225 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 961, 964 से 968, 971 से 973 किता 9 रकबा 2.3552 हेक्टेयर भूमि में खातेदार बेहना पुत्री तुलसीराम गुर्जर के बजाय बेहना उर्फ पार्वती पुत्री तुलसीराम गुर्जर संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.02.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.17 17:36:10 IST
Reason: SelfAttested